प्रधानमंत्री शील्ड प्रतियोगिता

दिशानिर्देश पुस्तिका

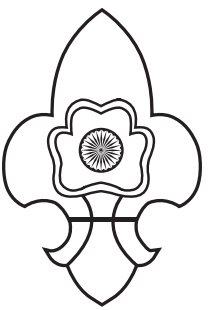

भारत स्काउट्स व गाइड्स

राष्ट्रीय मुख्यालय
लक्ष्मी मजूमदार भवन
16, महात्मा गांधी मार्ग
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002

अखिल भारतीय प्रधानमंत्री शील्ड प्रतियोगिता के लिए निर्धारित किए गए विषयों का संक्षिप्त विवरणः-

(1) विषय संख्या : 1

* सामुदायिक विकास कार्यक्रम
* प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम
* आंदोलन के प्रति दल के नेक कार्य

(2) विषय संख्या : 2

* स्वच्छता व पर्यावरण का संरक्षण
* हरित क्षेत्र का संरक्षण
* सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमित कार्यक्रम

(3) विषय संख्या : 3

* देश में व्याप्त अवांछनीय प्रथा के विरुद्ध कार्यक्रम
* राष्ट्रीय एकता अभियान
* मद्य पान नशीले पदार्थ व दवाओं के सेवन के विरुद्ध अभियान
* पेयजल की सुरक्षा

(4) विषय संख्या : 4

* वन्य जीव और पशुओं के संरक्षण हेतु कार्यक्रम
* कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम

विषय सूची

क्रं सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	प्रस्तावना	1
2.	उद्देश्य	1
3.	अवधि	1
4.	कार्य विधि	1
5.	प्रतिभागिता योग्यता	2
6.	पंजीकरण	2
7.	निर्णय	3
8.	निर्णायकों की कमेटी	4
9.	अवार्ड	5
10.	परियोजना का क्षेत्र	6
11.	प्रधानमंत्री शील्ड लॉग बुक का विस्तृत विवरण	7
12.	प्रतियोगिता के विषय	7
13.	पाठ्क्रम	8
14.	पंजीकरण फार्म का प्रारुप	20

प्रधानमंत्री शील्ड प्रतियोगिता
दिशानिर्देश

1. प्रस्तावना :-

भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने भारत स्काउट व गाइड को अखिल भारतीय स्तर पर प्रधानमंत्री शील्ड प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु अनुमति प्रदान की हुई है और प्रतियोगिता में विजेता यूनिट को प्रमाण-पत्र तथा प्रधानमंत्री शील्ड प्रदान की जाती है।

2. उद्देश्य :-

प्रधानमंत्री शील्ड प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य स्काउट व गाइड को प्रेरित कर उन्हें राष्ट्र तथा आंदोलन के प्रति उपयोगी सेवायें प्रदान करने के लिए प्रयासरत करना हैं। निर्धारित पाठ्यक्रम में समाज की आवश्यकताओं को दृष्टिगत कर यूनिट विषयों का चयन इस प्रकार करते है जिसके द्वारा वह ठोस सेवायें प्रदान कर सकें। इसी आशा व विश्वास के साथ कि स्काउट व गाइड यूनिट स्काउटिंग व गाइडिंग की भावना के माध्यम से अपने कार्यक्रमों में संलग्न रहेंगे।

3. समय अवधि :-

अखिल भारतीय प्रधानमंत्री शील्ड प्रतियोगिता की समय अवधि प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक निर्धारित की गई है।

4. कार्य विधि :-

4.1 प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर पर स्काउट दल और गाइड कम्पनी के लिए मुक्त रूप से आयोजित की जाती है। निर्धारित चार

विषयों में से प्रतिभागी यूनिट को विषयों का चयन करना पड़ता हैं परियोजना में दल या कम्पनी के समस्त सदस्यों की भूमिका होती है। वह संयुक्त रूप से मिलकर निर्धारित उद्देश्य व लक्ष्यों के परिणामों को प्राप्त करते है।

4.2 प्रतियोगिता स्काउट दल और गाइड कम्पनी के लिए अलग-अलग संचालित की जाती है।

4.3 प्रतिभागी दल को चार विषयों में से दो विषय का चयन करना पड़ता है। प्रथम विषय सभी के लिए अनिवार्य है तथा इसके अतिरिक्त विषय संख्या 2, 3 तथा 4 में से किसी एक विषय का चयन कर सकते हैं।

4.4 राज्य संस्थाए अपने-अपने राज्यों की स्काउट व गाइड यूनिटों के मध्य अखिल भारतीय प्रधानमंत्री शील्ड प्रतियोगिता की विस्तृत जानकारी प्रदान कर यूनिटों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मार्गदर्शन करती हैं इस संदर्भ में राज्य मुख्यालय से पंजीकरण फार्म प्राप्त किए जा सकते है।

5. प्रतियोगिता योग्यता :-

5. राष्ट्रीय स्तर पर गठित कमेटी के सदस्यों के द्वारा घोषित परिणाम सभी को मान्य हो और इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का विरुद्ध वाक्य (प्रोटेस्ट) स्वीकार नहीं होगा।

5.1 राज्य संस्थाएं निम्न प्रतिभागी योग्यता को पूर्ण करने के उपरांत ही प्रतियोगिता में सम्मिलित हो सकती है राज्य स्तर पर न्यूनतम आकांक्षा का विवरण :-

(क) कम से कम दो प्रतिभागी जिला।

(ख) प्रत्येक प्रतिभागी जिला में कम से कम दो यूनिट का पंजीकरण।

6. पंजीकरण :-

प्रतिभागी यूनिट को राष्ट्रीय मुख्यालय भारत स्काउट व गाइड में पंजीकरण कराना पड़ता है। राज्य मुख्यालय निर्धारित आवेदन पत्रों को पंजीकरण शुल्क दस रुपये प्रति प्रतिभागी यूनिट, सहित राष्ट्रीय मुख्यालय को अग्रसरित करती है। पंजीकरण फार्म व शुल्क मई माह के अंत तक अवश्य ही राष्ट्रीय मुख्यालय में पहुँच जाना चाहिए अर्थात प्रतियोगिता का कार्यकाल आरंभ होने से एक माह पूर्व। राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत राज्य संस्था के माध्यम से यूनिट को लॉग बुक तथा नियम पुस्तिका जारी की जाती है।

7. निर्णय

7.1 प्रत्येक प्रतिभागी यूनिट राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा जारी लॉग बुक में आयोजित की गई गतिविधियों का विवरण दर्ज करेगा।

7.2 वही प्रतिभागी यूनिट प्रतियोगिता के लिए मान्य होंगी जिनका विधिवत रूप से पंजीकरण कराया हुआ हो तथा ग्रुप स्तर पर कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हो। इस सन्दर्भ में रिकार्ड जिला/डिवीजन मुख्यालय में अग्रिम वर्ष की 30 जुलाई तक प्रेषित किया गया हो।

7.3 जिला/डिवीजन संस्था अपने स्तर पर मूल्यांकन कर 30 अगस्त तक राज्य मुख्यालय को निम्न प्रतियों के साथ प्रेषित करेगी।

(i) प्रत्येक ग्रुप के विषय में 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली युनिटों की सूची, दो प्रतियों में।

(ii) लॉग बुक (जिन यूनिटों ने प्रथम व द्वितीय स्थान विभिन्न विषयों के ग्रुप में किया है) सहित विवरण प्रेषित करेगी।

7.4 राज्य मुख्यालय अपने स्तर पर निर्णय लेकर तथा श्रेष्ठ यूनिट की लॉग बुक व अन्य संबंधित रिकार्ड 30 सितंबर तक राष्ट्रीय मुख्यालय में प्रेषित करेगी।

7.5 राष्ट्रीय मुख्यालय लॉग बुक व संपूर्ण रिकार्ड के आधार पर प्रत्येक राज्य का परिणाम घोषित करती है।

7.6 जिला / डिविजनल संस्थाएं निर्णय लेने के पूर्व अपने स्तर पर यह सुनिश्चित कर लें कि वह प्रतिभागी यूनिटों के निर्धारित कार्य क्षेत्र में जाकर कार्य का निरीक्षण की है।

8. निर्णायकों की कमेटी :

इन रुचि केंद्रों को इस स्तर पर संचालित किया जाए, जहाँ पर प्रतिभागियों के रुचि का विशेष महत्व हो।

8.1 जिला स्तर पर स्थापित कमेटी में निम्न पदाधिकारियों को स्थान देना चाहिए:-

(i) जिला संस्था का अध्यक्ष

(ii) जिला मुख्य आयुक्त

(iii) जिला आयुक्त (स्काउट व गाइड)

(iv) जिला संगठन आयुक्त (स्काउट व गाइड)

नोटः कम से कम तीन उपरोक्त पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य हैं। राज्य संस्था विभिन्न विषय के समूह के अनुसार राज्य कमेटी के सदस्यों के सम्मुख प्रस्तुत करती है। राज्य संस्था विभिन्न विषयों में से प्रत्येक विषय की श्रेष्ठ लॉग बुक को राष्ट्रीय मुख्यालय में प्रेषित करते है। राष्ट्रीय मुख्यालय गठित कमेटी में निम्न पदाधिकारी होते हैं:-

(i) अध्यक्ष (राष्ट्रीय संस्था या उनके द्वारा नामित कोई अन्य)

(ii) राष्ट्रीय आयुक्त

(iii) मुख्य आयुक्त (स्काउट)

(iv) मुख्य आयुक्त (गाइड)

(v) संयुक्त निदेशक (स्काउट व गाइड)

नोटः उपरोक्त कमेटी में कम से कम तीन पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य है। राष्ट्रीय स्तर पर गठित कमेटी के सदस्यों द्वारा घोषित परिणाम सभी को मान्य होंगे और इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का विरुद्ध वाक्य (प्रोटेस्ट) स्वीकार नहीं होगा।

9. अवार्ड :-

9.1 प्रत्येक राज्य पर स्काउट दल तथा गाइड कम्पनी जिन्होंने निर्धारित ग्रुप विषयों में 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हो उन दल / कम्पनी को प्रधानमंत्री शील्ड और माननीय प्रधानमंत्री के हस्ताक्षरों युक्त प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।

9.2 सभी प्रतिभागी यूनिटों जिन्होंने 50 प्रतिशत से अधिक तथा 70 प्रतिशत से कम अंक चयनित विषय के आधार पर प्राप्त किए हो उस दल/कम्पनी को सार्टिफिकेट ऑफ मेरिट से पुरस्कृत किया जाएगा।

9.3 प्रत्येक शील्ड विजेता यूनिट के स्काउटर। गाइडर, दलनायक या कम्पनी नायक, सभी पेट्रोल लीडर को विशेष रैली में आमंत्रित किया जाएगा और उन्हें अवार्ड प्रदान किया जाएगा।

9.4 सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट विजेता यूनिट के दल नायक, सहायक दल नायक, कम्पनी लीडर तथा सहायक कम्पनी लीडर को विशेष रैली में आमंत्रित का पुरस्कृत किया जाएगा।

9.5 प्रधानमंत्री शील्ड विजेता यूनिट के स्काउटर व गाइडर को शील्ड के साथ-साथ प्रधानमंत्री जी के हस्ताक्षर युक्त प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।

9.6 इनके साथ-साथ प्रत्येक शील्ड विजेता के प्रत्येक सदस्य को राष्ट्रीय आयुक्त के हस्ताक्षर युक्त प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाएंगे।

9.7 मेरिट सर्टिफिकेट उत्तीर्ण यूनिट के यूनिट लीडर को राष्ट्रीय आयुक्त के हस्ताक्षर युक्त प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाएंगे।

9.8 सभी प्रतिभागी यूनिट के प्रत्येक सदस्य को विशेष पदक जिसे P.M. Shield Badge कहते हैं, उन्हीं की जिला बैज कमेटी द्वारा प्रदान किया जायेगा बशर्ते उन्होंने सभी कार्ययोजना पूर्ण कर लॉग बुक को जिले में निर्णय के लिये समय पर जमा की गयी हो।

9.9 उपरोक्त पदक वह अपनी यूनिफार्म में तब तक लगा सकते हैं जब तक कि वह दल के सदस्य होते हैं।

9.10 एक विशेष ध्वज उन राज्य संस्थाओं को प्रदान किया जाता है जिन राज्यों में कम से कम 6 दलों ने शील्ड प्राप्त की हो।

10. परियोजना का क्षेत्र :

जिला आयुक्त की पूर्वानुमति से ही संबंधित दल/कम्पनी परियोजना क्षेत्र का चयन करते है। एक परियोजना में यह सुनिश्चित कर ले कि कम से कम तीस परिवार और अधिक से अधिक पचास परिवार लाभान्वित हों और यह क्षेत्र, दल के मुख्यालय के निकट हो। विभिन्न दलों या कम्पनियों का क्षेत्र अलग-अलग होना चाहिए। सभी प्रतिभागी स्काउट दल तथा गाइड कम्पनी अलग-अलग कार्य क्षेत्र का चयन करें।

11. लॉग बुक का निर्माण :-

प्रधानमंत्री शील्ड प्रतियोगिता की लॉग बुक साधारणतः 15 इंच X 12 इंच आकृति की होनी चाहिए तथा यह 18 इंच X 15 इंच से कदाचित बड़ी नहीं हो।

12. प्रतियोगिता के विषय

निम्न में से किसी एक गतिविधि (विषय) का चयन करें:-

1. **सामुदायिक विकास कार्यक्रम**

   जैसे रूचि केंद्र या कुष्ठ सेवा या फार्म सेवा या अल्प बचत कार्यक्रम या सामुदायिक सेवा (जिसमें कम से कम चालीस घंटों की सेवा एक वर्ष के अंतर्गत हो)

2. प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम

अथवा

3. संस्था के प्रति भलाई का कार्य

विषय संख्या - 2

निम्न में से किसी एक गतिविधि (विषय) का चयन करें

1. पर्यावरण संरक्षण (स्वच्छता) नियमित कार्यक्रम
2. हरित क्षेत्र का संरक्षण और उससे संबंधित कार्यक्रम
3. सड़क सुरक्षा के नियमित कार्यक्रम

विषय संख्या -3

निम्नलिखित में से किसी एक गतिविधि (विषय) पर कार्य किया जाए

(i) हानिकारक प्रथा, देश में दुराग्रह से संबंधित नियमित कार्यक्रम।

(ii) राष्ट्रीय एकता तथा इससे संबंधित कार्यक्रम।

(iii) नशा व्यसन से संबंधित कार्यक्रम।

(iv) स्वच्छ पेय जल तथा इससे संबंधित कार्यक्रम।

विषय संख्या - 4

1. जानवरों तथा जंगली जानवरों की सुरक्षा से संबंधित योजना (कार्यक्रम)

अथवा

2. कुष्ठ निवारण कार्यक्रम।

13. विस्तृत पाठ्यक्रम

विषय संख्या - 1

1. सामुदायिक विकास कार्यक्रम

(i) रूचि केंद्र

न्यूनतम् एक रूचि केंद्र का संचालन करना जिसमें कम से कम दस स्थानीय व्यक्तियों या समुदाय की प्रतिभागिता हो। यह केंद्र सामुदायिक भवन, विधालय या अन्य उपयुक्त स्थान पर कार्यरत हो जिसमें रूचि के प्रशिक्षण की सुविधा पर्याप्त मात्रा में हो। इन रूचि केंद्रो में प्रतिभागियों की रूचि का विशेष महत्व हो, संचालित किए जाने चाहिए। ऐसे केंद्र न्यूनतम छह माह के लिए कार्यरत होने चाहिए।

या

(ii) कुष्ठ निवारण सेवायें

(a) कार्य क्षेत्र में कुष्ठ से पीड़ित परिवारों का सर्वेक्षण करना।

(b) सर्वेक्षण कार्य के अतिरिक्त प्रभावित कुष्ठ पीड़ितों को मेडिकल उपचार के लिए मार्गदर्शन करना तथा परामर्श प्रदान करना।

(c) संबंधित कार्यक्षेत्र में मेडिकल निरीक्षण शिविर को संचालित करना। इस संदर्भ में अन्य कार्यशील संस्थाओं का भी सहयोग व सहायता ली जा सकती है।

(d) चित्रकला, पोस्टर बनाना, निबंध प्रतियोगिता इतयादि विषयों पर स्कूल छात्र-छात्राओं के लिए कुष्ठ निवारण पर प्रतियोगिता में आयोजित की जा सकती है।

(e) जनवरी 30 को कुष्ठ जागरूकता पदयात्रा, कुष्ठ निवारण सप्ताह, कुष्ठ निवारण दिवस इत्यादि के रूप में आयोजित किया जा सकता है।

या

(iii) फार्म हाऊस

कम से कम चार पाँच एकड़ क्षेत्र के फार्म हाऊस को गोद लेना तथा वहां के किसानों को निम्न के मार्ग दर्शन प्रदान करना।

1. (i) ब्लॉक विकास अधिकारी के निरंतर संपर्क में रहना। कृषि जंतु पालन इत्यादि के लिए उन्हें अंतिम विशिष्टा के विषय में ज्ञान प्रदान करना जिसे वह अपने पशुओं, जंतुओं, बीज इत्यादि के बारे में लाभान्वित हो।

(ii) बोवाई व कटाई के समय फार्म हाऊस पर जाकर किसानों (कृषकों) को सहायता पहुँचाना।

या

अल्प वचत नियमित कार्यक्रम :-

अल्प बचत नियमित कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर अथवा गोद लिए गए निर्धारित क्षेत्र में अथवा ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम बीस व्यक्तियों को बचत खाते खुलवाने के लिए प्रेरित करना अथवा पुराने

खातों में कुछ रकम जमा करवा कर उन्हें गतिशील व सुचारू रखने के लिए सहायता प्रदान करना।

या

5. एक वर्ष में चालीस घंटों की समाज सेवा :-

स्थानीय समुदाय, रेलवे स्टेशन, मेलो, उत्सवों इत्यादि के लिए समाज सेवा कार्यक्रम आयोजित करना। यह कार्यक्रम संबंधित जिला आयुक्त की संस्तुति से आयोजित होनी चाहिए।

अथवा

स्थानीय स्तर पर कृषि फार्म को गोद लेना तथा हाईक शिविर इत्यादि के माध्यम से अपनी सेवा प्रदान करना जिसके द्वारा कृषि फार्म का विकास संभव हो सके। यह कार्य पेट्रोल पद्धति के द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है गाइड विभाग (शहरी क्षेत्र के लिए) अपने क्षेत्र के स्थानीय परिवारों का सर्वेक्षण कर या उनमें संपर्क कर गृहणियों को रसोई घर तथा घर की स्वच्छता के लिए प्रेरित कर सकती है इनके साथ-साथ उन्हें छोटी बागवानी स्थापित करने के लिए सहायता भी प्रदान कर सकती है।

2. प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम :-

(i) प्रौढ़ शिक्षा केंद्र :-

अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र को संचालित करना ताकि छह माह भी अवधि में न्यूनतम तीस व्यक्तियों (महिला व पुरुषों) को लिखने, पढ़ने साधारण अंकगणित करने के योग्य बनाना। स्काउट व गाइड इन केंद्रों में

विद्यालय शिक्षा छोड़ चुके बालक-बालिकाओं अथवा निरक्षण पुरुष व महिलाओं को ही पंजीकरण किया जाना चाहिए।

यह कार्य 19 वर्ष से 35 वर्ष की आयु के पुरुष व महिला के लिए ही संचालित होने चाहिए। अपने कार्य क्षेत्र में पुस्तक, बैंक, वाचनालय इत्यादि को अपने विद्यालय या सामुदायिक केंद्र, गाँव इत्यादि में संचालित किया जा सकता है।

(ii) अनौपचारिक शिक्षा :-

अनौपचारिक शिक्षा केंद्र का संचालन करना (जो सांध्यकालीन समय में संचालित होने चाहिए) यह केंद्र ग्रुप मुख्यालय या अन्य उपयुक्त स्थानों पर संचालित किए जा सकते है। इन केंद्रों में 18 वर्ष की आयु से कम पुरुष व महिलाओं को पंजीकरण कर उन्हें अनौपचारिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इसमें ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जो अपने दैनिक जीवन में स्कूल शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह गये हों।

(iii) संस्था के लिए भलाई के कार्य :-

नोटः- (निम्नलिखित में से कोई-तीन पर पूर्ण रूपेण कार्य का संचालन)

(i) सुविधा, उपलब्धता, सहायता इत्यादि में प्रतिभागी दल। कम्पनी द्वारा पुस्तक, क्लब कक्ष, वाचनालय, व्यक्तिगत सहायता इत्यादि के द्वारा स्थानीय दल-कम्पनी के सदस्य लाभ प्राप्त कर सकें अथवा उनका भली भांति उपयोग कर सकें। इसके अंतर्गत कम से कम एक दल या कम्पनी लाभान्वित हों।

(ii) स्थानीय यूनिट के सदस्यों को दक्षता पदक प्राप्त करने के लिए सुविधा व सहायता करना।

(iii) आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के स्काउट या गाइड को यूनिफार्म उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करना। यह स्काउट या गाइड भी हो सकते है। इसके अंतर्गत न्यूनतम एक स्काउट या गाइड लाभान्वित होना चाहिए।

(iv) स्थानीय जरूरतमंद छात्र-छात्राओं के लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटर का संचालन करना। यह पड़ोसी यूनिट के स्काउट या गाइड होने चाहिए इसके अन्तर्गत न्यूनतम तीन स्काउट/गाइड लाभान्वित होने चाहिए।

नोटः इस संदर्भ में लांभान्वित हुए स्काउटों व गाइडों की सूची संबंधित दल-कम्पनी के नायक के नाम से लॉग बुक में लगी होनी चाहिए।

(v) शारीरिक रूप से विकलांग या मानसिक रूप से विकलांग बालक-बालिका को अपने दल या कम्पनी से संबंधित करना तथा उन्हें सामान्य बालक या बालिका की तरह प्रगति के पथ पर अग्रसर करना।

नोटः इस संदर्भ में संबंधित बालक या बालिका के अभिभावक से प्रमाण-पत्र प्राप्त करना तथा उसे लॉग-बुक में संलग्न करना।

12. (ii) कार्य विषय संख्या - 2

(अ) पर्यावरण स्वच्छता अभियान अथवा

(ब) हरित क्षेत्र का संरक्षण अथवा

(स) सड़क सुरक्षा अभियान

पर्यावरण स्वच्छता संरक्षण :-

1 (i) स्वच्छता के संदर्भ में स्थानीय कार्य क्षेत्र में सभी धरों में संपर्क स्थापित करना। समय की आवश्यकतानुसार पर्यावरण संरक्षण तथा स्वच्छता के लिए स्थानीय गृहस्वामियों को प्रेरित करना कि वह अपने घर में कूड़ेदान स्थापित करें तथा प्रतिदिन इन कूड़ेदानों को खाली करने का कार्य करें।

(ii) स्थानीय सफाई विभाग, नगर निगम या पंचायत के कर्मचारियों व अधिकारियों से संपर्क स्थापित करना ताकि वह एकत्रित कूड़े-करकट को नियमित उठाने के लिए प्रभावशाली कदम उठायें। अगर यह संभव न हो तो संबंधित दल या कम्पनी उपयुक्त स्थान पर विशाल कूड़ेदान को स्थापित कर स्थानीय नागरिकों को सहायता प्रदान कर सकती है। इस कार्य हेतु स्थानीय नागरिकों की पूर्वानुमति लेना अति आावश्यक है। इसके लिए दल-कम्पनी सम्ताह में एक बार कूड़े-करकट के उठवाने में योगदान करें तथा भविष्य में स्थानीय नागरिकों को यह कार्य संपन्न करने के लिए मार्ग दर्शन करें।

(iii) स्थानीय समुदाय व नागरिकों को उपयुक्त स्थलों से पेयजल प्राप्त करने के लिए शिक्षित करना अगर निगम द्वारा स्वच्छ जल आपूर्ति का अभाव हो तो नागरिकों को जल उबाल कर या अन्य तरीकों से उसे पीने योग्य बनाने के लिए शिक्षित करना।

(iv) संबंधित जिला आयुक्त की पूर्वानुमति से किसी उद्यान, कुआं, ऐतिहासिक स्थल पर स्वच्छता अभियान को संचालित करना। यह कार्य प्रतिमाह कम से कम एक बार अवश्य क्रियान्वित किए जाने चाहिए अथवा विद्यालय का चयन कर उसमें भी स्वच्छता परियोजना को संचालित किया जा सकता है।

(v) स्थानीय समुदाय को शिक्षित व उत्प्रेरित करने हेतु प्रति वर्ष 7 नवंबर तथा 22 फरवरी को स्थानीय स्तर पर या जिला स्तर पर प्रदर्शनी आयोजित कर समुदाय के नागरिकों को स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ हवा तथा गन्दगी के निराकरण के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए।

(vi) स्काउट व गाइड को "पब्लिक हैल्थ मेन बैज" प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना।

(ब) हरित क्षेत्र का संरक्षण :-

नोटः निम्नलिखित में से केवल एक विषय का चयन करें।

(i) संबंधित जिला आयुक्त द्वारा निर्धारित क्षेत्र, शिविर क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र सड़क के किनारे अथवा पिकनिक क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्यक्रम को संचालित करना। चयनित क्षेत्र में चार वृक्षों का रोपण करना तथा उनकी सुरक्षा व वृद्धि के लिए प्रभावशाली कदम उठाना।

न्यूनतम बारह प्रकार के पोधों को गमलों में लगाना यह पौधे सब्जियों के भी हो सकते हैं।

(ii) फूलों का बगीचा या छोटे बाग में फूल उगाना तथा उसे सुरक्षित रखना।

(iii) सब्जियों की क्यारी या छोटे स्तर पर बागवानी का निर्माण करना ताकि इसे सुरक्षित रखना।

(iv) किसी स्थल या मैदान का चयन कर भूमि संरक्षण की रोकथाम पर कार्य करना तथा कार्यरत स्थल पर भूमि के कटाव को सुरक्षा प्रदान करना।

(v) उचित नाप का गड्डा बनाकर उसमें सूखें पत्तों को संग्रह कर खाद बनाना।

(vi) घास क्षेत्र का निर्माण करना तथा उसे संरक्षण प्रदान करना।

सड़क सुरक्षा पर नियमित कार्यक्रम :-

(क) यातायात के संकेतों और सड़क के चिन्हों का ज्ञान प्राप्त करना तथा स्थानीय नागरिकों को इस संदर्भ में शिक्षित करना।

(ख) नागरिकों को सड़क सुरक्षा तथा यातायात नियमों के विषय में शिक्षित करना

(ग) अपने कार्यक्षेत्र में यातायात पुलिस विभाग की सहायता से सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन करना।

(घ) स्थानीय क्षेत्र में पंक्ति पद्धति को स्थापित करने के लिए प्रेरित करना। (वह स्थल बस स्टाप जो स्कूलों के निकट है या अस्पताल के निकट है।)

12. (iii) कार्य विषय संख्या - 2

निम्न विषय संख्या अ, ब, स, द में से किसी एक का चयन करें।

(अ) राष्ट्र में व्याप्त हानिकारक रीति-रिवाज व दुराग्रह

अ-1. दहेज प्रथा के विरुद्ध नियमित कार्यक्रम :-

(1) न्यूनतम दस पोस्टर जो दहेज प्रथा के विरुद्ध संदेश दे रहें हों का निर्माण करना तथा न्यूनतम 50 हैंडबिल का निर्माण कर अपने क्षेत्र में घर-घर जाकर इनका वितरण करना। पोस्टर क्षेत्र में चिपकाये जाने चाहिए। यह कार्य वर्ष में न्यूनतम दो बार किया जाना चाहिए। यह 2 अक्टूबर और 14 नवंबर के दिन सुनिश्चित किए जाने चाहिए। लॉग बुक में पोस्टरों व हैंडबिलों का नमूना प्रति प्रदर्शित की जानी चाहिए।

अ-2 सभी जातियों, वर्गो तथा धर्मो के प्रति आदर तथा सहनशीलता का अभ्यास

(i) सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन, यह 2 अक्टूबर और 30 जनवरी को मुख्य रूप से आयोजित होनी चाहिए। सर्वधर्म प्रार्थना सभा में क्षेत्र के सभी नागरिकों को आमंत्रित किया जाना चाहिए।

(ii) चार वर्ष से लेकर दस वर्ष के सभी विभागों के बच्चों को एकत्रित कर रैली अपने कार्यरत क्षेत्र में करना। समाज के इन बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के खेल तथा प्रतियोगितायें आयोजित करना। बालक-बालिकाओं को हल्का जलपान भी वितरित किया जा सकता है।

अ-3 अस्पृश्ता के निराकरण के लिए नियमित कार्यक्रमः-

(i) हरिजन बस्तियों या अविकसित क्षेत्रों का दौरा करना तथा उस क्षेत्र के बच्चों के लिए खेल के केंद्र स्थापित करना। इसके साथ-साथ संबंधित क्षेत्र के बच्चों के लिए कब पैक, बुलबुल फ्लॉक, स्काउट दल या गाइड कम्पनी का संचालन करना।

(ii) 15 अगस्त के दिन कार्य क्षेत्र में पोस्टर बनाने तथा पंपलैट लिखने की प्रतियोगिता आयोजित करना जो अस्पृश्ता के उन्मूलन से संबंधित हो। संबंधित सामग्री को उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित करना तथा नमूने की एक प्रति लॉग-बुक में संलग्न करना है।

(ब) राष्ट्रीय एकता तथा इससे संबंधित कार्यक्रमः-

दल-कम्पनी के मुख्यालय में 26 जनवरी को राष्ट्रीय एकता सप्ताह का संचालन करना। इसमें प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, झांकियाँ निकालने इत्यादि से संबंधित गतिविधियाँ सम्मिलित हों। विभिन्न क्षेत्रों राज्यों की अच्छी बातों को सीखना ताकि उनका प्रदर्शन करना इत्यादि कार्यक्रमों को संचालित किया जाना चाहिए।

(स) मद्य, नशीली वस्तुएं तथा नशीली दवाओं के विरुद्ध अभियान :-

समुदाय को मद्य, नशीली वस्तुएं तथा नशीली दवाओं के दुरुपयोग से होने वाली हानियों को लोक गीत, नुक्कड़ नाटक, कैम्प फायर, प्रदर्शनी पेम्पलेट, पोस्टर इत्यादि के माध्यम से जागृत करना।

(द) सुरक्षित पेयजल के लिए अभियानः-

समुदाय को जल की उपयोगिता तथा जल को विभिन्न विधियों के माध्यम से स्वच्छ करने का ज्ञान प्रदान करना। अभियान के अंतर्गत पेम्पलेट, पोस्टर, प्रदर्शनियाँ, जल को स्वच्छ करने की विधियों का प्रदर्शन कर समुदाय को पेयजल की सुरक्षा के विषय में जागृत किया जा सकता है। अभियान का मूल्यांकन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

12 (4) विषय संख्या - 4

निम्न विषय संख्या अ, ब, में से किसी एक का चयन करें।

(अ) वन्य जीव तथा पशुओं को संरक्षण प्रदान करने हेतु अभियानः-

1. वर्ष में न्यूनतम एक बार 'पशु दिवस' के अवसर पर पशुओं व अन्य जीवों पर हो रहे क्रूरता की रोकथाम के लिए सार्थक कार्यक्रम संचालित करना। इस अभियान में स्थानीय पशु चिकित्सालय अधिकारी से विचार-विमर्श करने के उपरान्त स्थानीय एस. पी. सी.ए. का सहयोग लिया जाना चाहिए।
2. स्थानीय नागरिकों को पशुओं पर क्रूरता रोकने के प्रति शिक्षित करना। पशुओं के संरक्षण तथा क्रूरता निवारण के संदेशात्मक पोस्टरों को निर्मित कर उपयोगी स्थानों पर प्रदर्शित किया जा सकता है।

पोस्टर व अन्य सहायक सामग्री का एक नमूना प्रति लॉग बुक में संलग्न करें।

3. प्रतिभागी यूनिट अपनी यूनिट स्काउट-गाइड को निम्न दक्षता-पदकों को उत्तीर्ण करने के लिए प्रेरित करना। दक्षता-पदकों का विवरण :- फ्रेंड टू एनिमल, पॉल्ट्री फॉरमर, बर्ड वार्डन, बी मास्टर और हरबलिस्ट।

4. प्राकृतिक पर्यावरण के अध्ययन हेतु पर्यावरण यात्रा को संचालित करना। निम्न में से किसी एक विषय का चयन कर कार्य करनाः-

(i) पक्षियों का पोषक स्थल चयनित करना या स्थापित करना इसके अंतर्गत पक्षियों का स्नान करना, घौंसला इत्यादि का अध्ययन करना, यह स्थल कार्यक्षेत्र के अंतर्गत हो।

अथवा

(ii) मछलियों के लिए साधारण जलाशय का निर्माण करना तथा इसमें सन्तान उत्पत्ति करने वाली मछलियों का पालन करना।

अथवा

(ii) मेंढक अथवा कछुओं के लिए जलाशय स्थापित करना तथा इनके कार्यो का अध्ययन करना।

5. कार्य क्षेत्र के निकट पाये जाने वाले न्यूनतम तीन पशुओं के प्लास्टर ऑफ पेरिस (मिट्टी) से पद चिन्ह् एकत्रित करना। विभिन्न 12 प्रकार के वृक्षों

के पत्तों का कार्बन की सहायता से चित्र बनाने, टूटे हुए पत्तों, टहनियों, वनस्पति के फूल, सब्जियों के फूल, वृक्षों इत्यादि के विषय में अध्ययन करना तथा उनकी उपयोगिता का विवरण लिखना। टूटे हुए पत्तों का संग्रह कर अपनी कार्य पुस्तिका में चिपकाना। अध्ययन के अंतर्गत इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि यह सब मानव के लिए किस प्रकार लाभदायक व उपयोगी हो सकते है।

(अ) कार्य क्षेत्र में पाये जाने वाले लगभग छह वन्य जीव (पशु) और लगभग छह पक्षियों के विषय में ज्ञान प्राप्त करना। चयन किए गए वन्य जीवों (पशुओं) और पक्षियों के चित्र बनाकर यूनिट के स्काउटों-गाइडों को उनकी आवाज को अनुकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना। स्काउटर व गाइडर प्रत्येक स्काउट व गाइड द्वारा प्राप्त कला कौशल को प्रमाणित करेंगे।

(ब) नेचर क्लब (पर्यावरण क्लब) की स्थापना करना। विश्व वन्य जीव ऑफ इंडिया इत्यादि संस्था का सहयोग, प्राप्त कर क्लब में संतोष जनक व सार्थक गतिविधियों को कार्य रूप प्रदान करना।

नोटः- 1. निर्देशन के लिए ए.पी.आर.ओ. II/III का अवलोकन करें।

2. क्षेत्रीय प्रशिक्षण काउंसलर (Councellor) या जिला ट्रेनिंग कमिशनर से स्वीकृति अनिवार्य हैं।

(ब) कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम

1. श्रव्य-दृश्य साधनों का प्रयोग कर कुष्ठ मुक्त विश्व कर संकल्पना।
2. भारत स्काउट व गाइड द्वारा परिपादित पांच बिंदुओं का प्रचार करना।
3. शैक्षिक संस्थाओं में कुष्ठ परीक्षण कार्यक्रम को संचालित करना तथा यह सुनिश्चित करना कि संस्था में सभी कुष्ठ रोग से मुक्त हो। स्थानीय कुष्ठ निवारण संस्था या विभाग को कुष्ठ निवारण की दवा का वितरण करने, सर्वेक्षण करने तथा अन्य रूप में सहयोग प्रदान करना।

विश्व स्तर का विस्तार :-

-- कुष्ठ एक संक्रमण रोग है।

-- कुष्ठ रोग पैतृक छुआछूत का रोग नहीं है, यह एक विशेष विषाणु से फैलता है।

-- भारत में उपलब्ध अस्सी प्रतिशत रोगी संदूषित से नहीं फैले है।

-- यदि शरीर की चमड़ी में लाल तैलीय धब्बे दिखाई दे तो अतिशीघ्र डाक्टर से परीक्षण या जांच करवानी चाहिए।

-- नियमित रूप से दवा लेने से कुष्ठ को नियंत्रित किया जा सकता है। शीघ्र डाक्टर से परीक्षण या जाँच करवानी चाहिए।

-- कुष्ट रोग से ग्रसित व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुविधापूर्वक रह सकते है। नियमित उपचार के चलते वह अपने दैनिक कार्य साधारण रूप में संचालित कर सकते है।

भारत स्काउट्स व गाइड्स

राष्ट्रीय मुख्यालय

लक्ष्मी मजूमदार भवन, 16 महात्मा गाँधी मार्ग
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली - 110002

प्रधानमंत्री शील्ड प्रतियोगिता का पंजीकरण प्रारूप

वर्ष - 201 ..... से 201

नोट : पंजीकरण फार्म को टाइप या स्वच्छ हस्तलेप से भरें।

उपयुक्त शब्दों पर (√) तथा अनुपयुक्त शब्दों पर(×) का प्रयोग करें।

1. राज्य संस्था का पूरा नाम.....

2. (a) मंडल संस्था का पूरा नाम.....

   (b) पता.....

3. स्काउट दल गाइड कम्पनी का नाम.....

.....

पूरा पता .....

.....

4. स्काउटर-गाइडर का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री) .....

5. दल या कम्पनी में पंजीकृत कुल सदस्यों की संख्या .....

प्रतियोगिता के विषय का विवरण।

चयनित विषय पर सही (√) का निशान लगाएं, अन्य को काट (×) दें।

विषय संख्या :- (प्रतिभागी यूनिटों के लिए अनिवार्य)

नोट : निम्न में से किसी एक गतिविधि (विषय) का चयन करें:-

(1) सामुदायिक विकास कार्यक्रम

(2) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम

(3) संस्था के प्रति यूनिट के भलाई कार्य।

विषय संख्या :- 2

(1) पर्यावरण के संरक्षण हेतु अभियान।

(2) हरित क्षेत्र का संरक्षण व इससे संबंधित गतिविधियाँ।

(3) सड़क सुरक्षा अभियान।

विषय संख्या :- 3 निम्न में से किसी एक गतिविधि (विषय) का चयन करें:-

(1) देश में व्याप्त कुरीतियों व हानिकारक प्रथाओं के विरुद्ध और इससे संबंधित कार्यक्रमों पर अभियान।

(2) राष्ट्रीय एकता तथा इससे संबंधित गतिविधियों को संचालित करने हेतु अभियान।

(3) मद्य, नशीली वस्तुएं तथा नशीली औषधियां और अन्य संबंधित विषय के विरुद्ध अभियान।

(4) पेयजल की सुरक्षा व संरक्षण तथा इससे संबंधित गतिविधियों के संदर्भ में अभियान।

विषय संख्या :- 4 निम्न में से किसी एक गतिविधि (विषय) का चयन करें:-

(1) वन्य जीव और जानवरों की सुरक्षा के विषय में अभियान,

(2) कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम।

नोट:- प्रधानमंत्री शील्ड प्रतियोगिता का पंजीकरण शुल्क रूपये दस मात्र (प्रति युनिट) राज्य मुख्यालय में जमा किया जाना चाहिए।

स्काउटर/गाइड के हस्ताक्षर

.....

मंडल/जिला आयुक्त के हस्ताक्षर

पंजीकरण प्रपत्र, पंजीकरण शुल्क रूपए दस के साथ राष्ट्रीय मुख्यालय, भारत स्काउट व गाइड, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया।

राज्य मुख्यालय की मोहर .....

राज्य सचिव/संयुक्त राज्य सचिव के हस्ताक्षर

.....

राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट-गाइड)

दिनांक .....

नोटः पंजीकरण प्रपत्र-भेजने की अंतिम तिथि प्रत्सेक वर्ष 30 मई है।

राष्ट्रीय मुख्यालय को फार्म प्राप्त हुआ (दिनांक) .....

हस्ताक्षर : .....

प्रमाणित किया जाता है कि यूनिट द्वारा क्रियान्वित की गई गतिविधियों का सम्पूर्ण विवरण लॉग बुक में दर्ज किया गया है। संपूर्ण अभिलेख (रिकार्ड) जिला / मंडल मुख्यालय में प्रेषित किया गया।

दिनांक .....

.....

स्काउटर / गाईडर के हस्ताक्षर

अभिलेख राज्य मुख्यालय को प्रेषित किया गया दिनांक .....

....

मंडल / जिला आयुक्त (स्का॰ या गाईडर हस्ताक्षर) मंडल जिला / सचिव

अभिलेख राज्य मुख्यालय को प्रेषित किया गया दिनांक .....

....

राज्य आयुक्त (स्काउट-गाइड) राज्य सचिव

हस्ताक्षर हस्ताक्षर

राज्य मुख्यालय को दिनांक ..... में पंजीकरण फार्म प्राप्त हुआ।

.....

प्रभारी के हस्ताक्षर व पद

If wealth is lost
nothing is lost
If health is lost
something is lost
If Character is lost
everything is lost

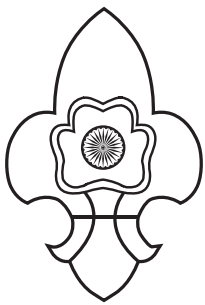

Published by the Director, for the National Headquarters, The Bharat Scouts & Guides, Lakshmi Mazumdar Bhawan, 16, Mahatma Gandhi Marg, Indraprastha Estate, New Delhi - 110002

DMA/10000/2013